कार्रवाई टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) प्रकाश राम पिता स्व0 शुकर राम एवं (2.) प्रयाग राम पिता स्व0 अमृत राम, निवास स्थान ग्राम अमृतनगर कर्वेखुर्द, पोस्ट–कोर्रा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–कर्वेखुर्द, थाना नं0–172, खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–385, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मंजू कुमारी पिता नन्दलाल राम पति इन्द्रदेव रविदास, निवास स्थान ग्राम–सारुकुदर, पोस्ट–अचलजामु, थाना–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकगण एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22023719 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-502/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2615/रा0 दिनांक 12.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1374 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदकगण को आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत छक्कन भुइंया हैं। खतियान अनुसार धारित कुल रकवा 8.64 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-107/I पर खाता संख्या–7, रकवा–4.4475 एकड़ की जमाबंदी छक्कन भुइंया के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत् है। आवेदकगण जमाबंदी रैयत के परपोता हैं। संयुक्त जमाबंदी अनुसार आवेदकगण द्वारा धारित कुल रकवा 4.4475 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त जमाबंदी में रकवा 4.4075 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकगण के दखल कब्जा में है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाइ टिप्पणी त
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) प्रकाश राम पिता स्व0 शुकर राम एवं (2.) प्रयाग राम पिता स्व0 अमृत राम, निवास स्थान ग्राम अमृतनगर कर्वेखुर्द, पोस्ट–कोर्रा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–कर्वेखुर्द, थाना नं0–172, खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–385, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मंजू कुमारी पिता नन्दलाल राम पति इन्द्रदेव रविदास, निवास स्थान ग्राम–सारुकुदर, पोस्ट–अचलजामु, थाना–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 30/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 30/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.10.01 13:57:30 +05:30
Location: 192.168.100.2